तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14.7.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 20.7.22 को पेश हो।
20/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 1.8.22 को पेश हो।
1.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 5/8/22 को पेश हो।
5.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 12.8.22 को पेश हो।
12/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस मे वकील पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 560 पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी खातेदारी की खसरा सं. 561 है, तथा खसरा सं. 560 व 561 [illegible] पुराना रास्ता है जो [illegible] अतः वकील अप्रार्थी ने निवेदन [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वर्षों पुराना रास्ता बन्द हो जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमने वकील उभयपक्षकारान द्वारा किये गए तर्कों पर मनन किया। खसरा संख्या 560 व 561 की मेर पर वर्षों पुराना रास्ता है, अत: प्रथम दृष्टया प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा दिये जाने से रास्ता अवरूद्ध हो सकता है। अत: प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। सुविधा सन्तुलन का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अत: प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड, बहस वकील पक्षकारान एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested